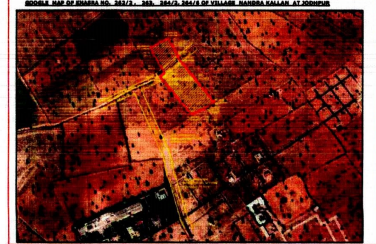
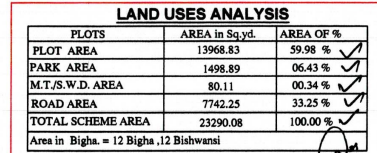


एजेण्डा संख्या 17 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
06.10.2023	जोन-1	नान्दडा कला	263, 264 / 2, 264 / 6, 262 / 2	12.00.12 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री चैनाराम पुत्र श्री धन्नाराम, श्री कमल किशोर पुत्र श्री धनराज				
विषय:-	राजरव ग्राम नान्दडा कला के खसरा संख्या 263, 264 / 2, 264 / 6, 262 / 2 रकबा 12.00.12 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. आवेदित भूमि को पूर्व अनुमोदित योजना से 80 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्य की एवज में विकास योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के-बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 3. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलैटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले योजना				

	का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 4. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले-आउट प्लान जारी किया जावे। 5. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावे। 6. योजना का क्षेत्रफल 2 है० से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 7. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन गानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 10. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावे।
--	---

SCALE :- 1" = 50'

[illegible]

दिनांक 7/7/23 को सुपर इम्पोज/नीतिक
सत्यापित LAYOUT PLAN से प्रस्तुत LAYOUT PLAN
का मिलान कर सीमाओं को लाल स्याही से बिन्दू A से
14/7/23 तक किया गया।

(प्रवीण आर्या)
निरीक्षक (भू.ज.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
66, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg.No.C.T.P. RAJNAGAR MITRA 2021 (861) 670

सहायक नगर नियोजक
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

बोधपुर विकास प्राधिकरण
बोधपुर

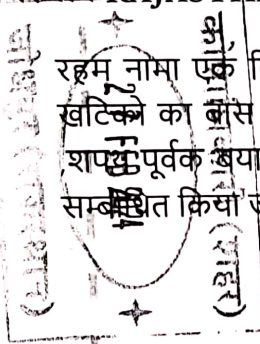
16/01/24
महुला शेखावत
आ.ए.एस
न्यायद्वी



राजस्थान RAJASTHAN

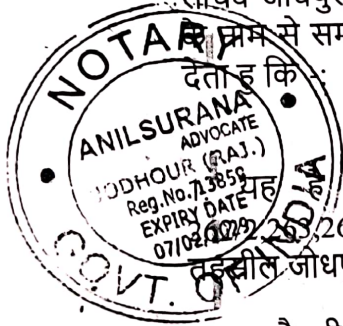
रहन नामा (Mortgage Deed)

AB 435006



रहम नामा एक लिख देते है श्री कमल किशोर.पुत्र श्री धनराज जाति खटीक निवासी खटिको का बीस महामंदिर जोधपुर व चैनाराम पुत्र धन्ना राम निवासी ग्राम उचियारड़ा शपथ पूर्वक खयान करते है कि जिन्हे आगे इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

बहक



सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जिन्हे आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के पक्ष में यह दस्तावेज निम्न प्रकार से तहरीरी कर देता हूँ कि:-

यह की प्रथम पक्षकारान की खरीद सुदा कृषि भूमि खसरा न. 264/2, 264/6 कुल रकबा 12-00-12 बीघा ग्राम नांदड़ा कला जिला व तहसील जोधपुर में आयी हुई है।

2. यह है की उक्त कृषि भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट दिनांक 06.10.23 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा 90-A की कार्यवाही दिनांक 08.09.23 को पूर्ण हो चुकी है।

राकेच कच्छवाहा
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

NOTARY, JODHPUR
10/11/2024

राकेच कच्छवाहा
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

NOTARY, JODHPUR

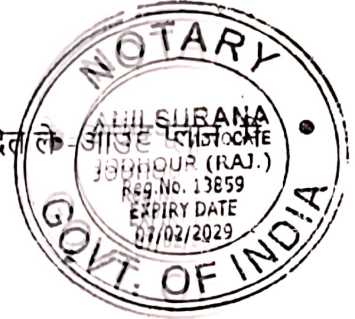
8102) 6861-2432-7321

मुद्रांक विक्रेता के हस्त
क्षर/हस्ताक्षर पर

[illegible]

3. यह है की टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आंतरिक कार्य के बाबत 12.5 प्रतिशत भूमि द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने है इस आवासीय कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन उक्त विकास करने के लिए प्रतिबंध हु अन्यथा नियमानुसार पेनल्टी भुगतान को तैयार हु उक्त समयवधि में आंतरिक विकास नहीं करने पर भूखंडों को विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत होगा।

4. यह है की उक्त खसरा न. 262/2, 263, 264/2, 264/6 के अनुमोदित ले-आउट प्लान के से 12.5 प्रतिशत भूखंड का विवरण निम्न है।



भूखंड संख्या	भूखंडों का क्षेत्रफल
43	138.8 वर्ग गज
44	138.8 वर्ग गज
45	138.8 वर्ग गज
46	138.8 वर्ग गज
47	138.8 वर्ग गज
48	138.8 वर्ग गज
49	138.8 वर्ग गज
58	214.95 वर्ग गज
71	374.3 वर्ग गज
72	250.56 वर्ग गज
कुल	1811.41 वर्ग गज

5. यह है की उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखंडों को हम प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी या निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आंतरिक विकास कार्य के बाद 12.5 % भूखंडों के अंतर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहे है।

6. यह की उक्त भूखंडों को आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिए रहन रखा गया है। जो आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय पक्षकार नियुक्त कर्मचारी की रिपोर्ट के पश्चात द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे तत्पश्चात 12.5 % भूखंडों के पट्टे प्रथम पक्षकार प्राप्त करने के अधिकार रहेंगे।


राजेश चछवाहा
सहायक प्रशासनिक अधिकारी


ANIL SURANA
NOTARY, JODHPUR

लिहाजा ये रहनामा प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार के हक में राजी खुशी अकल होशियारी से बिना नशे पते और बिना किसी दबाव को पढ़ कर सुनकर निष्पादित कर दिया गया है। जो लिखे माफिक सही है व सनद है तथा वक्त जरूरत काम आवे।

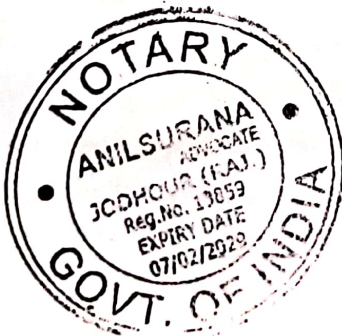
POL

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

राकेश कच्छवाहा
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

साख:01 साख लिख देता हु की में जयवर्द्धन सिंह भारती पुत्र श्री
श्री सिंह जी जाति राजपूत निवासी
ग्राम: साँवत कुआ खुर्दे ने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो सही है।

DSK साख:02 साख लिख देता हु की में धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री
गोविन्द सिंह जी जाति राजपूत निवासी
ग्राम: उन्नीया रडा ने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो सही है।



ATTESTED
NOTARY, JODHPUR
10/04/2024